



सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

लखनऊ, सोमवार, 7 दिसम्बर, 2020

अग्रहायण 16, 1942 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन

निर्वाचन अनुभाग

संख्या 1272/61-2020

लखनऊ, 7 दिसम्बर, 2020

अधिसूचना

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 67 के अधीन निम्नलिखित घोषणा, जिसमें अपने कार्यकाल की समाप्ति पर उत्तर प्रदेश विधान परिषद से 6 मई, 2020 को अवकाश ग्रहण कर चुके सदस्यों के स्थानों की पूर्ति के लिए उत्तर प्रदेश विधान परिषद के स्नातक और शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रों से चुने गये अभ्यर्थियों के नाम दिये गये हैं, सर्वसाधारण के सूचनार्थ प्रकाशित की जाती है।

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961

(कानूनी नियम और आदेश)

प्ररूप-23

[नियम 84 (1) (क) देखिए]

(द्विवार्षिक निर्वाचन में उपयोग के लिए, जब स्थान सविरोध हो)

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 के अधीन निर्वाचन के परिणाम की घोषणा।

लखनऊ खण्ड स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से उत्तर प्रदेश (राज्य) की विधान परिषद के लिए निर्वाचन।

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 84 के उपनियम (1) के खण्ड (क) के साथ पठित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 में अन्तर्विष्ट उपबन्धों के अनुसरण में, मैं घोषणा करता हूँ कि-

इंजी० अवनीश कुमार सिंह, मकान नं०-210, तेरवा दहिगवां, दक्षिण भाग-2, थाना कासिमपुर, तहसील सण्डीला, जनपद हरदोई-241305 जो भारतीय जनता पार्टी (मान्यता प्राप्त राजनैतिक पार्टी) द्वारा खड़े किए गए हैं,

उस सदन में एक सदस्य के, जो अपनी पदावधि के अवसान पर 6 मई, 2020 को निवृत्त हो गए हैं, स्थान को भरने के लिए सम्यक् रूप से निर्वाचित हो गए हैं।

स्थान—लखनऊ।

(ह0) अपठनीय,

तारीख—6 दिसम्बर, 2020

रिटर्निंग ऑफिसर।

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961

(कानूनी नियम और आदेश)

प्ररूप—23

[नियम 84 (1) (क) देखिए]

(द्विवार्षिक निर्वाचन में उपयोग के लिये, जब स्थान सविरोध हो)

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 के अधीन निर्वाचन के परिणाम की घोषणा।

विधान परिषद द्विवार्षिक निर्वाचन क्षेत्र से वाराणसी खण्ड स्नातक निर्वाचन—2020

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 84 के उपनियम (1) के खण्ड (क) के साथ पठित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 में अन्तर्विष्ट उपबन्धों के अनुसरण में, मैं घोषणा करता हूँ कि—

श्री आशुतोष सिन्हा, पता—डी0 57/50सी-1ए, मौलवीबाग कालोनी, सिद्धगिरीबाग, वाराणसी जो समाजवादी पार्टी (मान्यता प्राप्त/रजिस्ट्रीकृत राजनैतिक पार्टी का नाम) द्वारा खड़े किए गए हैं, उस सदन में एक सदस्य के, जो अपनी पदावधि के अवसान पर 6 मई, 2020 को निवृत्त हो चुके हैं, स्थान को भरने के लिए सम्यक् रूप से निर्वाचित हो गए हैं।

स्थान—वाराणसी।

(ह0) अपठनीय,

तारीख—5 दिसम्बर, 2020

रिटर्निंग ऑफिसर,

वाराणसी खण्ड स्नातक

निर्वाचन क्षेत्र।

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961

(कानूनी नियम और आदेश)

प्ररूप—23

[नियम 84 (1) (क) देखिए]

(द्विवार्षिक निर्वाचन में उपयोग के लिये, जब स्थान सविरोध हो)

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 के अधीन निर्वाचन के परिणाम की घोषणा।

इलाहाबाद—झाँसी खण्ड स्नातक क्षेत्र से उत्तर प्रदेश विधान परिषद के लिये निर्वाचन

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 84 के उपनियम (1) के खण्ड (क) के साथ पठित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 में अन्तर्विष्ट उपबन्धों के अनुसरण में, मैं घोषणा करता हूँ कि—

डॉ0 मान सिंह यादव (नाम), एच0आई0जी0-240, प्रीतम नगर, धूमनगंज, प्रयागराज (पता) जो समाजवादी पार्टी (मान्यता प्राप्त/राष्ट्रीय राजनैतिक दल) द्वारा खड़े किए गए हैं, उस सदन में एक सदस्य के, जो अपनी पदावधि के अवसान पर 6 मई, 2020 को निवृत्त हो गये हैं, स्थान को भरने के लिए सम्यक् रूप से निर्वाचित हो गए हैं।

स्थान—बुन्देलखण्ड डिग्री कालेज, कोठारी हाल, झाँसी।

सुभाष चन्द शर्मा,

तारीख—4 दिसम्बर, 2020

रिटर्निंग ऑफिसर,

इलाहाबाद—झाँसी खण्ड स्नातक निर्वाचन क्षेत्र,

एवं आयुक्त, झाँसी मण्डल, झाँसी।

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961

(कानूनी नियम और आदेश)

प्ररूप-23

[नियम 84 (1) (क) देखिए]

(द्विवार्षिक निर्वाचन में उपयोग के लिये, जब स्थान सविरोध हो)

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 के अधीन निर्वाचन के परिणाम की घोषणा।

उत्तर प्रदेश विधान परिषद के आगरा खण्ड स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के लिए निर्वाचन।

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 84 के उपनियम (1) के खण्ड (क) के साथ पठित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 में अन्तर्विष्ट उपबन्धों के अनुसरण में, मैं घोषणा करता हूँ कि—

डा० मानवेन्द्र प्रताप सिंह 'गुरुजी', निवासी-660, न्यू सुरेन्द्र नगर, अलीगढ़ जो भारतीय जनता पार्टी उम्मीदवार के रूप में खड़े किये गये हैं, उस सदन में 01 सदस्य के, जो अपनी पदावधि के अवसान पर 6 मई, 2020 (तारीख, मास और वर्ष) को निवृत्त हो चुके हैं, स्थान को भरने के लिए सम्यक् रूप से निर्वाचित हो गए हैं।

स्थान—आगरा।

दिनांक—5 दिसम्बर, 2020

(ह०) अपठनीय,

रिटर्निंग ऑफिसर,

आगरा खण्ड स्नातक

विधान परिषद निर्वाचन क्षेत्र।

प्ररूप-23

[नियम 84 (1) (क) देखिए]

(द्विवार्षिक निर्वाचन में उपयोग के लिए, जब स्थान सविरोध हो)

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 के अधीन निर्वाचन के परिणाम की घोषणा।

मेरठ खण्ड स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से उत्तर प्रदेश विधान परिषद के लिए निर्वाचन।

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 84 के उपनियम (1) के खण्ड (क) के साथ पठित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 में अन्तर्विष्ट उपबन्धों के अनुसरण में, मैं घोषणा करती हूँ कि—

श्री दिनेश कुमार गोयल, के०डी०-4, कविनगर, गाजियाबाद उस सदन में एक सदस्य के, जो अपनी पदावधि के अवसान पर दिनांक 6 मई, 2020 को निवृत्त हो गए हैं, के स्थान को भरने के लिए सम्यक् रूप से निर्वाचित हो गए हैं।

स्थान—मेरठ।

दिनांक—5 दिसम्बर, 2020

अनीता सी० मेश्राम,

रिटर्निंग ऑफिसर,

विधान परिषद मेरठ खण्ड स्नातक निर्वाचन क्षेत्र /

आयुक्त, मेरठ मण्डल, मेरठ।

प्ररूप-23

[नियम 84 (1) (क) देखिए]

(द्विवार्षिक निर्वाचन में उपयोग के लिए, जब स्थान सविरोध हो)

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 के अधीन निर्वाचन के परिणाम की घोषणा।

बरेली—मुरादाबाद खण्ड शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से उत्तर प्रदेश की विधान परिषद के लिए निर्वाचन।

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 84 के उपनियम (1) के खण्ड (क) के साथ पठित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 में अन्तर्विष्ट उपबन्धों के अनुसरण में, मैं घोषणा करता हूँ कि—

डा० हरी सिंह ढिल्लो, ग्राम खण्डसाल कलाँ, डाकघर—कौराल, तहसील—नौगांवा सादात, जिला—अमरोहा जो कि भारतीय जनता पार्टी (मान्यता प्राप्त/रजिस्ट्रीकृत राजनैतिक पार्टी का नाम) द्वारा खड़े किये गये हैं। उस सदन में एक सदस्य के, जो अपनी पदावधि के अवसान पर 6 मई, 2020 को निवृत्त हो चुके हैं, स्थान को भरने के लिए सम्यक् रूप से निर्वाचित हो गये हैं।

स्थान—बरेली।

दिनांक—3 दिसम्बर, 2020

(ह०) अपठनीय,

रिटर्निंग ऑफिसर,

बरेली—मुरादाबाद खण्ड शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र।

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961

(कानूनी नियम और आदेश)

प्ररूप—23

[नियम 84 (1) (क) देखिए]

(द्विवार्षिक निर्वाचन में उपयोग के लिए, जब स्थान सविरोध हो)

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 के अधीन निर्वाचन के परिणाम की घोषणा।

लखनऊ खण्ड शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से उत्तर प्रदेश (राज्य) की विधान परिषद के लिए निर्वाचन।

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 84 के उपनियम (1) के खण्ड (क) के साथ पठित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 में अन्तर्विष्ट उपबन्धों के अनुसरण में, मैं घोषणा करता हूँ कि—

श्री उमेश द्विवेदी, ग्रा० व पो०—अरखा, तहसील ऊँचाहार, जिला रायबरेली—229404 जो भारतीय जनता पार्टी (मान्यता प्राप्त राजनैतिक पार्टी) द्वारा खड़े किये गये हैं, उस सदन में एक सदस्य के, जो अपनी पदावधि के अवसान पर 6 मई, 2020 को निवृत्त हो गये हैं, स्थान को भरने के लिए सम्यक् रूप से निर्वाचित हो गए हैं।

स्थान—रायबरेली।

तारीख—4 दिसम्बर, 2020

(ह०) अपठनीय,

रिटर्निंग ऑफिसर।

प्ररूप—23

[नियम 84 (1) (क) देखिए]

(द्विवार्षिक निर्वाचन में उपयोग के लिए, जब स्थान सविरोध हो)

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 के अधीन निर्वाचन के परिणाम की घोषणा।

गोरखपुर—फैजाबाद खण्ड शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से उत्तर प्रदेश विधान परिषद के लिए निर्वाचन।

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 84 के उपनियम (1) के खण्ड (क) के साथ पठित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 में अन्तर्विष्ट उपबन्धों के अनुसरण में, मैं घोषणा करता हूँ कि—

श्री ध्रुव कुमार त्रिपाठी, निवासी मथुरा नगर, नगर पंचायत उस्का बाजार, सिद्धार्थनगर निर्दलीय द्वारा खड़े किये गये हैं। उस सदन में उत्तर प्रदेश विधान परिषद गोरखपुर—फैजाबाद खण्ड शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से एक

सदस्य के, जो अपनी पदावधि के अवसान पर 6 मई, 2020 को सेवानिवृत्त हो गये हैं, स्थान को भरने के लिए सम्यक् रूप से निर्वाचित हो गये हैं।

स्थान—गोरखपुर।
दिनांक—4 दिसम्बर, 2020

जयन्त नार्लिकर,
रिटर्निंग ऑफिसर,
गोरखपुर—फैजाबाद खण्ड शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र।

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961

(कानूनी नियम और आदेश)

प्ररूप—23

[नियम 84 (1) (क) देखिए]

(द्विवार्षिक निर्वाचन में उपयोग के लिए, जब स्थान सविरोध हो)

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 के अधीन निर्वाचन के परिणाम की घोषणा।

विधान परिषद द्विवार्षिक निर्वाचन क्षेत्र से वाराणसी खण्ड शिक्षक निर्वाचन—2020

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 84 के उपनियम (1) के खंड (क) के साथ पठित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 में अन्तर्विष्ट उपबन्धों के अनुसरण में, मैं घोषणा करता हूँ कि—

श्री लाल बिहारी यादव, ग्राम—विशुनपुर, पो0—कम्हरिया, थाना—तरवां, जिला—आजमगढ़ जो कि समाजवादी पार्टी (मान्यता प्राप्त/रजिस्ट्रीकृत राजनैतिक पार्टी) द्वारा खड़े किये गये हैं, उस सदन में एक सदस्य के, जो अपनी पदावधि के अवसान पर 6 मई, 2020 को निवृत्त हो चुके हैं, स्थान को भरने के लिए सम्यक् रूप से निर्वाचित हो गए हैं।

स्थान—वाराणसी।
दिनांक—4 दिसम्बर, 2020

(ह0) अपठनीय,
रिटर्निंग ऑफिसर,
वाराणसी खण्ड शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र।

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961

(कानूनी नियम और आदेश)

प्ररूप—23

[नियम 84 (1) (क) देखिए]

(द्विवार्षिक निर्वाचन में उपयोग के लिए, जब स्थान सविरोध हो)

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 के अधीन निर्वाचन के परिणाम की घोषणा।

उत्तर प्रदेश विधान परिषद के आगरा खण्ड शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के लिए निर्वाचन।

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 84 के उपनियम (1) के खंड (क) के साथ पठित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 में अन्तर्विष्ट उपबन्धों के अनुसरण में, मैं घोषणा करता हूँ कि—

डॉ० आकाश अग्रवाल (वित्त विहीन वाले) 91, कावेरी विहार, आगरा (उ0प्र0) जो निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में खड़े किये गये हैं, उस सदन में 01 सदस्य के, जो अपनी पदावधि के अवसान पर 6 मई, 2020 (तारीख, मास और वर्ष) को निवृत्त हो चुके हैं, स्थान को भरने के लिए सम्यक् रूप से निर्वाचित हो गए हैं।

स्थान—आगरा।
दिनांक—4 दिसम्बर, 2020

(ह0) अपठनीय,
रिटर्निंग ऑफिसर,
आगरा खण्ड शिक्षक
विधान परिषद निर्वाचन क्षेत्र।

प्ररूप-23

[नियम 84 (1) (क) देखिए]

(द्विवार्षिक निर्वाचन में उपयोग के लिए, जब स्थान सविरोध हो)

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 के अधीन निर्वाचन के परिणाम की घोषणा।

मेरठ खण्ड शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से उत्तर प्रदेश विधान परिषद के लिए निर्वाचन।

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 84 के उपनियम (1) के खण्ड (क) के साथ पठित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 में अन्तर्विष्ट उपबन्धों के अनुसरण में, मैं घोषणा करती हूँ कि—

श्री श्रीचन्द शर्मा, ग्राम धूम मानिकपुर, दादरी, गौतमबुद्धनगर, पिन कोड-203207 उस सदन में एक सदस्य के, जो अपनी पदावधि के अवसान पर दिनांक 6 मई, 2020 को निवृत्त हो गये हैं, के स्थान को भरने के लिए सम्यक् रूप से निर्वाचित हो गए हैं।

स्थान—मेरठ।

दिनांक—4 दिसम्बर, 2020

अनीता सी0 मेश्राम,

रिटर्निंग ऑफिसर,

विधान परिषद मेरठ खण्ड शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र/
आयुक्त, मेरठ मण्डल, मेरठ।

आज्ञा से,

अजय कुमार शुक्ला,

सचिव।

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor of Uttar Pradesh is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 1272/LXI-2020, dated December 7, 2020:

No. 1272/LXI-2020

Dated Lucknow, December 7, 2020

IN pursuance of the provisions of section 67 of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951), the following declarations containing the names of the candidates elected from Graduates and Teachers Constituencies of Uttar Pradesh Legislative Council to fill the seats of the members of Uttar Pradesh Legislative Council, who retired on May 6, 2020 on the expiry of their term is published for general information.

CONDUCT OF ELECTIONS RULES, 1961

(Statutory Rules and Order)

FORM 23

[See rule 84 (1) (a)]

(For use in Biennial Election when seat is contested)

Declaration of the Result of Election under section 66 of the Representation of the People Act, 1951.

Election to the Legislative Council of Uttar Pradesh (State) from the Lucknow Division Graduates Constituency.

In pursuance of the provisions contained in section 66 of the Representation of the People Act, 1951, read with clause (a) of sub-rule (1) of rule 84 of the Conduct of Elections Rules, 1961, I declare that—

Er. Awanish Kumar Singh, House No. 210, Terwa Dahigawan, South Part 2, Thana-Kasimpur, Tehsil-Sandila, District Hardoi-241305 sponsored by Bharatiya Janata Party (name of the recognized political party) has been, duly elected to fill the seat in that House of a one member retiring on May 6, 2020 on the expiration of their term of office.

Place : Lucknow.

(Sd.) ILLEGIBLE,

Date : December 6, 2020

Returning Officer.

FORM 23

[See rule 84 (1) (a)]

(For use in Biennial Election when seat is contested)

Declaration of the Result of Election under section 66 of the Representation of the People Act, 1951.

Election to the Legislative Council of Uttar Pradesh from Varanasi Khand Graduate Constituency 2020.

In pursuance of the provisions contained in section 66 of the Representation of the People Act, 1951, read with clause (a) of sub-rule (1) of rule 84 of the Conduct of Elections Rules, 1961, I declare that—

Sri Ashutosh Sinha (Name), D 57/50 C-1A Moulwibagh Colony, Siddhagiribagh, Varanasi (Address) sponsored by Samajwadi Party (name of the recognized/registered political party) has been, duly elected to fill the seat in that House of a one member retired on May 6, 2020 the expiration of their term of office.

Place : Varanasi.

(Sd.) ILLEGIBLE,

Date : December 5, 2020

Returning Officer,

Varanasi Khand Graduates
Constituency.

CONDUCT OF ELECTIONS RULES, 1961

(Statutory Rules and Order)

FORM 23

[See rule 84 (1) (a)]

(For use in Biennial when seat is contested)

Declaration of the Result of Election under section 66 of the Representation of the People Act, 1951.

Election to the Legislative Council of Uttar Pradesh (State) from the Allahabad-Jhansi Division Graduates' Council Constituency.

In pursuance of the provisions contained in section 66 of the Representation of the People Act, 1951, read with clause (a) of sub-rule (1) of rule 84 of the Conduct of Elections Rules, 1961, I declare that—

Dr. Man Singh Yadav (Name), R/o H.I.G. 240 Preetam Nagar, Dhumanganj, Prayagraj (Address) sponsored by Samajwadi Party (recognized National Political Party) has been, duly elected to fill the seat in that House of as one member has retired on May 6, 2020 on the expiration of their term of office.

Place : Bundelkhand Degree College,
Kothari Hall, Jhansi.

SUBHASH CHAND SHARMA,
Returning Officer,

Date : December 4, 2020

Allahabad-Jhansi Division
Graduates' Council Constituency/
Commissioner, Jhansi Division, Jhansi.

CONDUCT OF ELECTIONS RULES, 1961

(Statutory Rules and Order)

FORM 23

[See rule 84 (1) (a)]

(For use in Biennial Election when seat is contested)

Declaration of the Result of Election under section 66 of the Representation of the People Act, 1951.

Election to the Legislative Council of Uttar Pradesh from the Agra Division Graduates' Constituency.

In pursuance of the provisions contained in section 66 of the Representation of the People Act, 1951, *read* with clause (a) of sub-rule (1) of rule 84 of the Conduct of Elections Rules, 1961, I declare that—

Dr. Manvendra Pratap Singh 'Guru Ji', 660, New Surendra Nagar, Aligarh sponsored by Bharatiya Janata Party has been duly elected to fill the seat in that House of a one member retiring on May 6, 2020 (date, month and year) on the expiration of their term of office.

Place : Agra.

Date : December 5, 2020

(Sd.) ILLEGIBLE,

Returning Officer,

Agra Division Graduates

Legislative Council Constituency.

FORM 23

[See rule 84 (1) (a)]

(For use in Biennial Election when seat is contested)

Declaration of the Result of Election under section 66 of the Representation of the People Act, 1951.

Election to the Legislative Council of Uttar Pradesh from the Meerut Division Graduates' Constituency.

In pursuance of the provisions contained in section 66 of the Representation of the People Act, 1951, *read* with clause (a) of sub-rule (1) of rule 84 of the Conduct of Elections Rules, 1961, I declare that—

Shri Dinesh Kumar Goel, K.D-4, Kavi Nagar Ghaziabad has been duly elected to fill the seat in that House of a member retired on May 6, 2020 on the expiration of their term of office.

Place : Meerut.

Date : December 5, 2020

ANEETA C. MESHARAM,

*Returning Officer,*Legislative Council Meerut Division Graduates' Constituency/
Commissioner, Meerut Division, Meerut.

FORM 23

[See rule 84 (1) (a)]

(For use in Biennial Election when seat is contested)

Declaration of the Result of Election under section 66 of the Representation of the People Act, 1951.

Election to the Legislative Council of Uttar Pradesh from the Bareilly-Moradabad Division Teachers Constituency.

In pursuance of the provisions contained in section 66 of the Representation of the People Act, 1951, *read* with clause (a) of sub-rule (1) of rule 84 of the Conduct of Elections Rules, 1961, I declare that—

Dr. Hari Singh Dhillon, Address-Gram Khandisal Kala, Post Office-Koural, Teh.-Nougava Sadat, District-Amroha sponsored by Bhartiya Janata Party (Name of the recognised/Registered Political Party) has been duly elected to fill the seat in that House of a one member retired on May 6, 2020 on the expiration of their term of office.

Place : Bareilly.
Date : December 3, 2020

(*Sd.*) ILLEGIBLE,
Returning Officer,
Bareilly-Moradabad Division Teachers Constituency.

CONDUCT OF ELECTIONS RULES, 1961

(Statutory Rules and Order)

FORM 23

[*See* rule 84 (1) (a)]

(For use in Biennial Election when seat is contested)

Declaration of the Result of Election under section 66 of the Representation of the People Act, 1951.

Election to the Legislative Council of Uttar Pradesh (State) from the Lucknow Division Teachers Constituency.

In pursuance of the provisions contained in section 66 of the Representation of the People Act, 1951, *read* with clause (a) of sub-rule (1) of rule 84 of the Conduct of Elections Rules, 1961, I declare that—

Shri Umesh Dwivedi, Gram & Post-Arkha, Tehsil-Unchahar, District Rae Bareilly-229404 sponsored by Bharatiya Janata Party (name of the recognized political party) has been duly elected to fill the seat in that House of a one member retiring on May 6, 2020 on the expiration of their term of office.

Place : Lucknow.
Date : December 4, 2020

(*Sd.*) ILLEGIBLE,
Returning Officer.

FORM 23

[*See* rule 84 (1) (a)]

(For use in Biennial Election when seat is contested)

Declaration of the Result of Election under section 66 of the Representation of the People Act, 1951.

Election to the Legislative Council of Uttar Pradesh from the Gorakhpur-Faizabad Khand Teachers' Constituency.

In pursuance of the provisions contained in section 66 of the Representation of the People Act, 1951, *read* with clause (a) of sub-rule (1) of rule 84 of the Conduct of Elections Rules, 1961, I declare that—

Shri Dhruv Kumar Tripathi, R/o Mathura Nagar, Nagar Panchayat Uska Bazar, Siddharthnagar has been duly elected to fill the seat in that House of U.P. Legislative Council member from Gorakhpur-

Faizabad Segment Teachers' Constituency, having retired on May 6, 2020 on the expiration of his term of office.

Place : Gorakhpur.
Date : December 4, 2020

JAYANT NARLIKAR,
Returning Officer,
Gorakhpur-Faizabad Teacher's Constituency

FORM 23

[See rule 84 (1) (a)]

(For use in Biennial Election when seat is contested)

Declaration of the Result of Election under section 66 of the Representation of the People Act, 1951.

Election to the Legislative Council of Uttar Pradesh from the Varanasi Khand Teachers Constituency, 2020.

In pursuance of the provisions contained in section 66 of the Representation of the People Act, 1951, *read* with clause (a) of sub-rule (1) of rule 84 of the Conduct of Elections Rules, 1961, I declare that—

Sri Lal Biharee Yadaw (Name), Gram Vishunpur, Post Kamhriya, Thana Tarvan, Zila Azamgarh (Address) sponsored by Samajwadi Party (Name of the recognized/registered political party) has been duly elected to fill the seat in that House of a one member retired on May 6, 2020 on the expiration of thier term of office.

Place : Varanasi.
Date : December 4, 2020

(Sd.) ILLEGIBLE,
Returning Officer,
Varanasi Khand Teachers Constituency.

CONDUCT OF ELECTIONS RULES, 1961

(Statutory Rules and Order)

FORM 23

[See rule 84 (1) (a)]

(For use in Biennial Election when seat is contested)

Declaration of the Result of Election under section 66 of the Representation of the People Act, 1951.

Election to the Legislative Council of Uttar Pradesh from the Agra Division Teachers' Constituency.

In pursuance of the provisions contained in section 66 of the Representation of the People Act, 1951, *read* with clause (a) of sub-rule (1) of rule 84 of the Conduct of Elections Rules, 1961, I declare that-

Dr. Aakash Agarwal (vittavihin wale) 91, Kaveri Vihar, Agra, (U.P.) sponsored by Independent has been duly elected to fill the seat in that House of a One member retired on May 6, 2020 (date, month and year) on the retiring of their term of office.

Place : Agra.
Date : December 4, 2020

(Sd.) ILLEGIBLE,
Returning Officer,
Agra Division Teachers'
Legislative Council Constituency.

FORM 23

[See rule 84 (1) (a)]

(For use in Biennial Election when seat is contested)

Declaration of the Result of Election under section 66 of the Representation of the People Act, 1951.

Election to the Legislative Council of Uttar Pradesh from the Meerut Division Teachers Constituency.

In pursuance of the provisions contained in section 66 of the Representation of the People Act, 1951, read with clause (a) of sub-rule (1) of rule 84 of the Conduct of Elections Rules, 1961, I declare that—

Shri Shrichand Sharma, Village Dhoom Manikpur, Dadri, Gautambudhnagar, Pin Code-203207 has been duly elected to fill the seat in that House of a member retired on May 6, 2020 on the expiration of their term of office.

Place : Meerut.

Date : December 4, 2020

ANEETA C. MESHARAM,

Returning Officer,

Legislative Council Meerut Division Teachers Constituency/

Commissioner,

Meerut Division, Meerut.

By order,

AJAY KUMAR SHUKLA,

Sachiv.

पी०एस०यू०पी०-ए०पी० 398 राजपत्र-2020-(904)-588 प्रतियां (क०/टी०/ऑफसेट)।

पी०एस०यू०पी०-ए०पी० 79 सा० निर्वाचन-2020-(905)-150 प्रतियां (क०/टी०/ऑफसेट)।